पी.जे.रत्नम

बनाम

डी. कनिकराम और अन्य

(बी.पी सिन्हा सी.जे., जे.सी. शाह और एन. राजगोपाला अयंगर जेजे.)

व्यवसायिक कदाचार--शिकायत--पूछताछ--वकील द्वारा मुट्विकल के पैसे का दुर्विनियोग--यिद व्यावसायिक कदाचार का दोषी हो-व्यावसायिक कदाचार के संबंध में व आपराधिक न्यायालय में कार्यवाही-उद्देश्य-विभेदीकरण-दंड विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 (1879 का 18), धारा 12, 13--इंडियन बार काउंसिल अधिनियम, 1926 (1926 का 38), धारा 10 (2).

उत्तरदाता और एक अन्य कग्गा वीरैया थे, किसी भूमि के कब्जे संबंधित वाद में वादी और अपीलकर्ता उनके वकील थे। वाद खारिज कर दिया गया और वहां से अधीनस्थ न्यायाधीश के समक्ष अपील की गई। कोर्ट में अपील के लंबित रहने के दौरान, न्यायालय द्वारा वाद भूमि पर खड़ी फसल को बेचने के पशचात प्राप्त हुई राशि को न्यायालय में जमा करवाने का निर्देश दिया हो कुल 1600 रूपयों की राशि जमा करवाई गई। वादी की अपील स्वीकार कर ली गयी और प्रतिवादियों द्वारा उनकी अपील उच्च न्यायालय में की गई। वादी की दूसरी अपील के लंबित रहने के

दौरान, वादी का जमा की गई राशि वापस प्राप्त करने का प्रार्थना-पत्र अचल संपत्ति को जमानत रखने पर स्वीकार किया गया। एक चैक याचिका लगाई गई जो स्वीकार की गई और 1,452/4/- राशि का चैक अपीलार्थी के हक में जारी किया गया। अपीलार्थी, जो एक वकील है, ने यह चैक अपने म्विकल, जो राशि प्राप्त करने के हकदार थे, की ओर से प्राप्त कर भुगतान प्राप्त करना स्वीकार किया। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई और वादी का वाद खारिज कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप वादी को वाद के प्रतिवादी की राषि का प्रतिदाय करना था। वादी द्वारा अपीलार्थी के समक्ष, उस राशि जो उसके द्वारा प्राप्त की गई परंत् उन्हें भ्गतान नहीं की गई, के लिए लिखित मांग की गई। अपीलकर्ता द्वारा उत्तर में दावा किया गया कि उक्त राशि का भुगतान उन्हें कर दिया गया है, जिसकी रसीद, केस के कागजात जो उन्हें ही वापस लौटा दिए गए हैं, में है। उत्तरदाता ने धारा 12 व 13 लिगल प्रेक्टिशनर एक्ट में शिकायत दर्ज करवाई। वकील का स्पष्टीकरण लिया गया और जिला न्यायाधीश को जांच कर रिपोर्ट उच्च न्यायालय में भेजने हेतु निर्देशित किया गया। उनकी रिपोर्ट में अपीलकर्ता का मामला नहीं होना माना गया और संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी माना गया। केस की स्नवाई हाई कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने की अदालत, जिसने उन्हें पेशेवर कदाचार का दोषी ठहराया और उन्हें प्रैक्टिस से पांच साल तक सस्पेंड कर दिया गया। इस अदालत में अपीलकर्ता ने तर्क दिया, (1) कि मामले को जांच और रिपोर्ट के लिए

विद्वान जिला न्यायाधीश को भेजने से पूर्व बार काउंसिल से परामर्ष नहीं किया गया और इससे अपीलार्थी के विरूद्ध पूरी कार्यवाही की वैधता दूषित हो गई थी। (2) उत्तरदाताओं द्वारा जारी की गई याचिका जिसके आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की गई न तो उनके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया और न ही ठीक से उच्च न्यायालय के नियमों के अन्सार उन्हें प्रमाणित किया गया। (3) म्ख्य तौर पर अपीलार्थी के विरूद्ध म्व्विकल के पैसों के दुरूपयोग का आक्षेप है, उच्च न्यायालय को षिकायतकर्ता को उनके द्वारा अपीलार्थी को अभियोग करने हेतु छोड़ देना चाहिए था और बार काउंसिल एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी। (4) जिस तरीके से अपीलार्थी के विरूद्ध मामला चलाया गया उसमें प्रक्रियात्मक अनियमितता थी। (5) वादियों में से एक-कग्गा वीरैया ने स्वयं अपने साक्ष्य में स्वीकार किया था कि उन्हें और अन्य लोगों को चेक की आय प्राप्त हुई थी जिसे अपीलार्थी ने नकद कर दिया था और इस स्वीकारोक्ति के बावजूद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से गलत पाया कि अपीलार्थी अपने मुवक्किलों को धन का भुगतान करने में विफल रहा था।

अभिनिर्धारित किया गया (1) यह तथ्य कि धारा 10(2) बार काउंसिल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही को जिला न्यायाधीश को भेजे जाने के आदेश में ऐसा कोई स्पष्ट कथन नहीं है कि बार काउंसिल से पूर्व में परामर्ष किया गया था, इस बिंदू पर निर्णायक नहीं है। आधिकारिक और न्यायिक कृत्यों के संबंध में नियमितता की धारणा होगी और यह उस पक्ष

के लिए होगा जो इस तरह की नियमितता को चुनौती देता है और अपने मामले को साबित करता है। चूँकि यह आपित उच्च न्यायालय में नहीं उठाई गई थी, तब भी जब अपीलार्थी ने प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, यह न्यायालय इस आपित को स्वीकार नहीं करेगा जो पूरी तरह से तथ्य के प्रश्न पर आधारित है।

- (2) शिकायत याचिका पर प्रत्यिथीयों द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे और उचित रूप से सत्यापित किया गया था और अन्यथा भी क्योंकि उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 10(2) के तहत इन कार्यवाहियों को स्वतः शुरू करने के लिए सक्षम था, उठाया गया मुद्दा पूरी तरह सारहीन है।
- (3) उन मामलों के बीच अंतर स्पष्ट है जहां कदाचार अभ्यासकर्ता की मुद्विकल के प्रति जिम्मेदारी के संबंध में होता है और अन्य केस जहां ऐसा नहीं है। उसके मुविक्कल और अन्य मामले जहां ऐसा नहीं है। पूर्व श्रेणी के मामलों में अदालत अपने विवेकाधिकार का उपयोग करेगी यिद वह शिकायतकर्ता को आपराधिक अदालत में उसका उपचार लेने के लिए प्रेरित किए बिना आरोप को पेशेवर कदाचार के रूप में देखने की कोशिश करती है। जहाँ तक वर्तमान मामले के तथ्यों और परिवेशक स्थितियों का संबंध है, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय धारा 10 बार काउंसिल अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही करने में पूरी तरह से उचित था।

चंडी चरण मित्तर एक वकील, इन रे. (1920) आईएलआर 47 कैल. 1115 और सम्राट बनाम सतीश चंद्र सिंघा, (1927) आईएलआर 54 कैल. 721, संदर्भित।

स्टीफंस बनाम हिल्स, (1842) 152 ईआर 368, संदर्भित।

- (4) ऐसा कुछ भी रिकार्ड पर नहीं है कि जिला न्यायाधीश के समक्ष या उच्च न्यायालय के समक्ष कोई षिकायत की गई हो कि जिस तरीके से मामले की जांच की गई या जिस क्रम में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था, उससे अपीलकर्ता को पूर्वाग्रह हुआ हो।
- (5) कग्गा वीरैया की गवाही को उच्च न्यायालय द्वारा सत्य से रहित बताया गया है इसलिए, अपीलकर्ता इसकी किसी भी राषि प्राप्त करने के लिए स्वीकारोक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता।

अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, निलंबन की अवधि कम करने का औचित्य नहीं है। इसलिए अपील खारिज की जानी चाहिए।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः की सिविल अपील संख्या 321/ 1962 1957 के संदर्भित मामले संख्या 29 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 4 अगस्त 1959 के निर्णय और आदेश के खिलाफ विशेश अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ता की ओर से एम. राजगोपालन और के.आर. चौधरी। प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ। 10 अप्रैल, 1963। अदालत का फैसला अय्यंगर जे. द्वारा सुनाया गया था।

यह अपील आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ इस अदालत की विशेश अनुमित से दायर की गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता जो एक वकील है, को पेशेवर कदाचार का दोषी ठहराया गया था और इसके कारण उन्हें पांच साल के लिए अभ्यास से निलंबित कर दिया गया था।

लगाए गए कदाचार से संबंधित तथ्य संक्षेप में ये थेः हमारे सामने तीन प्रतिवादी और एक अन्य - कग्गा वीरैया - जिला मंसिफ, ग्ंटूर की फाइल पर 1951 के ओ.एस. 432 के वादी थे, जिसमें कुछ संपत्तियों पर कब्जे के लिए दावा किया गया था। अपीलकर्ता इन वादीगणों का वकील था। मुकदमा ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था और उसके बाद अधीनस्थ न्यायाधीश, ग्ंटूर के पास अपील दायर की गई थी और अपील के निपटान तक अदालत ने निर्देश दिया था कि म्कदमे की जमीन पर खड़ी फसल बेची जाए और अदालत में आय जमा की जाए। इस आदेश के अन्पालन में लगभग रु. 1,600/- रुपये 19 दिसंबर, 1951 को न्यायालय में जमा कर दिए गए। वादी की अपील को अधीनस्थ न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया। असफल प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय में दूसरी अपील की, लेकिन इस बीच वादी ने अदालत में जमा की गई राशि वापस लेने के लिए एक आवेदन किया। न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के

आधार पर उन्हें उच्च न्यायालय में दूसरी अपील के निपटान के लिए लंबित राशि वापस लेने की स्वतंत्रता दी गई थी। अचल संपत्ति को जमानत के रूप में रखने पर निकासी का आदेश दिया गया। तदनुसार 1952 ईए 250 की एक चेक याचिका दायर की गई थी जिसकी अनुमति दी गई थी और उसके बाद वकील - हमारे सामने अपीलकर्ता - के पक्ष में रुपये 1,452/4/- का एक चेक जारी किया गया था। यह पाउंड आदि की कटौती के बाद वादी के खाते में बची ह्ई शेश राशि है। यह स्वीकार किया गया कि यह चेक अपीलकर्ता द्वारा 23 अप्रैल, 1953 को भ्नाया गया था। अपीलकर्ता ने इस पर कोई विवाद नहीं किया। उसने अपने मुवक्किलों की ओर से इस चेक को भ्नाया या कि वे इस राशि का भ्गतान करने के हकदार थे और अपीलकर्ता के खिलाफ पेशेवर कदाचार का आरोप यह था कि वकील ने मांगों के बावजूद यह भुगतान नहीं किया था, लेकिन दूसरी ओर उसने यह गलत दावा किया था कि उन्होंने यह रकम अदा कर दी है।

इन कार्यवाहियों की ओर ले जाने वाले मामलों की कहानी को फिर से शुरू करने के लिए, उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील का निपटारा अगस्त, 1955 में किया गया और उस न्यायालय के फैसले से अपील की अनुमति दी गई और वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया। इसलिए वादी को मुकदमे में प्रतिवादियों को राशि वापस करनी पड़ी। 8 फरवरी, 1956 को वादी ने अपीलकर्ता से राशि की लिखित मांग करते हुए शिकायत की कि चेक उसके द्वारा भुनाया गया था, लेकिन इसकी आय का भुगतान नहीं किया गया था। 14 अप्रैल, 1956 को अपीलकर्ता ने इस नोटिस का जवाब देते हुए दावा किया कि रसीद पास करने पर उन्हें राशि का भुगतान किया गया था और कहा गया था कि रसीद केस-पेपर के बंडल में थी जो उन्हें वापस कर दी गई थी।

लेकिन इस उत्तर के प्राप्त होने से पहले ही हमारे समक्ष के तीन उत्तरदाताओं ने लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट की धारा 12 और 13 के तहत पैसे का भुगतान न करने और इसके संबंध में वकील पर पेशेवर कदाचार का आरोप लगाने और उसके आचरण की जांच की प्रार्थना करने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कर दी। अपीलकर्ता एक वकील था और इसलिए शिकायत को धारा 10 (2) इंडियन बार काउंसिल एक्ट, 1926 के तहत माना गया। अधिवक्ता का स्पष्टीकरण मांगा गया और उसके बाद जिला न्यायाधीश, गुंटूर को निर्देशित किया गया कि अपीलकर्ता के खिलाफ पेशेवर कदाचार के आरोपों की जांच करे और उसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय

को भेजे। इसके बाद विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा एक विस्तृत जांच की गई, जिन्होंने सब्तों पर विचार करने के बाद, अपने निष्कर्ष को दर्ज करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्त्त की कि अपीलकर्ता का मामला अविष्वसनीय नहीं था और इस आधार पर वह संदेह के लाभ का हकदार था। मामला तब इस रिपोर्ट पर विचार के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय के समक्ष क्छ बिंद् उठाए गए थे कि क्छ महत्वपूर्ण गवाहों की जांच नहीं की गई थी। इस दलील से सहमत होते हुए उन्होंने जिला न्यायाधीश को उन्हें बुलाने और उनकी जांच करने का निर्देश दिया और तदन्सार उनकी साक्ष्य दर्ज किए गए और उच्च न्यायालय में प्रस्त्त किए गए। इसके बाद मामले की सुनवाई 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने की और विदवान न्यायाधीशों की राय थी कि अपीलार्थी के खिलाफ आरोप अर्थात यह कि उन्होंने अपने म्वक्किलों को चैक राशि का भ्गतान नहीं किया, स्पष्ट रूप से बनता था, उन्हें पेशेवर कदाचार का दोषी ठहराया गया था और अभ्यास से निलंबन की सजा दी गई थी, जैसा कि पहले कहा गया था। अपीलकर्ता ने तब इन निष्कर्षों की सत्यता को च्नौती देने के लिए आवेदन किया और इस न्यायालय की अन्च्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति प्राप्त की और इसी तरह मामला हमारे सामने है।

आगे बढ़ने से पहले हम ऐसे मामलों में इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की प्रकृति और उन सिद्धांतों की विस्तृत रूपरेखा बताना चाहते हैं जिनका हम प्रकरण में पालन करेंगे। व्यावसायिक कदाचार के मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला क्षेत्राधिकार न तो दीवानी है और न ही आपराधिक क्योंकि इन अभिव्यक्तियों का उपयोग संविधान के 133 और 134 में किया जाता है। एक पहलू में यह न्यायालय के एक अधिकारी का अधिकार क्षेत्र है और वकील का अपने म्वक्किल के प्रति कर्तव्य के अलावा न्यायालय के प्रति भी कर्तव्य है। दूसरे पहलू में यह एक वैधानिक शक्ति है और हम धारा 10 बार काउंसिल अधिनियम के तहत न्यायालय में निहित एक कर्तव्य जोड़ देना स्निश्चित करते हैं कि पेशेवर ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाए, ताकि बार सामान्य रूप से जनता और विशेश रूप से वादियों को अपनी विशेशज सेवा प्रदान कर सके और इस प्रकार न्यायपालिका के साथ सहयोग करने के अपने म्ख्य कार्य का निर्वहन कर सके। कानून के अन्सार न्याय प्रशासन का कार्य जो कि बह्त नाजुक और जिम्मेदारी वाला है विधि द्वारा उच्च न्यायालय को दिया गया है और इसलिए इसे सुनिष्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी भी उच्च न्यायालय पर हैंं।

यह न्यायालय इस क्षेत्र में उच्च न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए सबसे अधिक अनिच्छुक है, अपवाद को छोड़कर ऐसे मामले जब सिद्धांत का कोई प्रश्न शामिल हो या जहां यह न्यायालय आष्वस्त हो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन हुआ है या अन्यथा न्याय का पात हुआ है। हालाँकि, जहाँ इनमें से कोई भी कारक मौजूद नहीं है, वहाँ इस न्यायालय की यह परंपरा नहीं है कि वह रिकॉर्ड पर मौजूद

साक्ष्यों को फिर से मूल्यांकन करने या यह निर्धारित करने के लिए प्रचारित करने की अनुमित दे कि इसे स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। इसलिए तथ्य के प्रश्नों पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष हमारे सामने खुले नहीं हैं और यह न्यायालय केवल इस पर विचार करेगा कि क्या पाए गए तथ्यों पर पेशेवर कदाचार का आरोप स्थापित होता है।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अपील के समर्थन में हमारे सामने कई आधारों का आग्रह किया लेकिन हम मानते हैं कि उनमें से कोई भी गंभीरता से ध्यान देने योग्य नहीं है। सबसे पहले यह प्रस्तुत किया गया था कि मामले को जांच और रिपोर्ट के लिए विद्वान जिला न्यायाधीश के पास भेजे जाने से पहले बार काउंसिल से परामर्श नहीं किया गया था और इससे अपीलकर्ता के खिलाफ पूरी कार्यवाही की वैधता समाप्त हो गई। हमारा ध्यान इंडियन बार काउंसिल अधिनियम की धारा 10 (2) की शर्तों की ओर आकर्षित हुआ।

"10 (2) किसी न्यायालय या बार काउंसिल, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर कि ऐसा कोई वकील कदाचार का दोषी है, उच्च न्यायालय, यदि वह इसे सरसरी तौर पर खारिज नहीं करता है, मामले को जांच के लिए या तो बार काउंसिल को, या बार काउंसिल के परामर्श के बाद, जिला न्यायाधीश की अदालत (इसके बाद जिला अदालत के रूप में संदर्भित) को संदर्भित करेगा और

अपनी स्वयं की गति से किसी भी मामले को संदर्भित कर सकता है जहां अन्यथा यह विष्वास करने का कारण है कि ऐसा कोई भी वकील इतना दोषी है।"

और तर्क यह था कि मामले को जिला न्यायाधीश के पास जांच के लिए नहीं भेजा जा सकता था जब तक कि बार काउंसिल के साथ परामर्श की वैधानिक पूर्व शर्त पूर्ण नहीं हो जाती। इस मामले में यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि परामर्श के लिए यह प्रावधान अनिवार्य है या नहीं, लेकिन हम यह मान लेंगे कि ऐसा है। हालाँकि, इस न्यायालय में अपील के चरण तक कार्यवाही की वैधता पर इस आपत्ति का कोई संकेत नहीं था। यह सवाल कि क्या कोई परामर्श हुआ है या नहीं, एक तथ्य है और यदि यह मुद्दा उच्च न्यायालय में उठाया गया होता तो हमारे पास जानकारी होती कि क्या ऐसा कोई परामर्श ह्आ था या नहीं, और यदि नहीं तो ऐसा क्यों नहीं ह्आ। यहां तक कि जब अपीलकर्ता ने 133 (1)(सी) के तहत फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया था। इस आपति को ऐसे आधार के रूप में सुझाया नहीं गया था जिस पर कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाया जाएगा। इन परिस्थितियों में हम इस आपति पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं जो पूरी तरह से तथ्य के प्रश्न पर आधारित है। तथ्य कि धारा 10 (2) के तहत कार्यवाही को जिला न्यायाधीश को निर्देषित करने के आदेश में कोई स्पष्ट कथन नहीं है कि बार काउंसिल से पहले परामर्श किया गया था जो इस बिंदु पर निर्णायक

नहीं है। आधिकारिक और न्यायिक कृत्यों के संबंध में नियमितता की उपधारणा होगी और जो पक्ष इस नियमितता को चुनौती देता है उसे ही अपना पक्ष कहना और साबित करना होगा।

आगे यह तर्क दिया गया कि उत्तरदाताओं द्वारा दायर की गई शिकायत जिसके आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उस पर उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, न ही उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार उनके द्वारा उचित रूप से सत्यापित किया गया था। हम इस आपित को चरम सीमा तक तुच्छ मानते हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उनके द्वारा भेजी गई याचिका में पाए गए तीन उत्तरदाताओं के कई हस्ताक्षरों और 1951 के ओएस 432 के वादपत्र

आदि में पाए जाने वाले कई हस्ताक्षरों के बीच असमानता थी और यह सब्त है कि यह उत्तरदाता नहीं थे जो वास्तव में याचिका के लिए जिम्मेदार थे, बल्कि यह कि किसी ने अपीलकर्ता के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया था। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने इस दलील को इन शब्दों में खारिज कर दियाः

"एक बात के लिए, हम ऐसी किसी भी असमानता को खोजने में असमर्थ हैं। फिर भी, इसका इस सवाल पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है कि क्या प्रतिवादी (अपीलकर्ता) ने यह साबित करने का बोझ उतार दिया है कि उसने याचिकाकर्ता को भुगतान कर दिया है। इस तर्क में कुछ बल होता अगर याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी के खिलाफ साक्ष्य नहीं दिया होता। इसके अलावा, किसी भी वादी को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया।"

यह हस्ताक्षरों की असमानता के प्रश्न पर है जिस पर यह तर्क आधारित है कि उत्तरदाता शिकायतकर्ता नहीं थे। शिकायत के सत्यापन के बिंदु के बाद मामला इस प्रकार हैरू तीन शिकायतकर्ताओं (हमारे सामने प्रतिवादी) ने मूल रूप से 6 मार्च, 1956 को जिला न्यायाधीश के समक्ष एक याचिका दायर की थी, लेकिन इस पर किसी राजपत्रित अधिकारी का या नियमों के अनुसार आवश्यक अन्य प्राधिकारी का सत्यापन नहीं था। इस दोश को एक नई याचिका द्वारा पूरा किया गया, जिसे उन्होंने 16 अप्रैल, 1956 को जिला न्यायाधीश के समक्ष दायर किया। तीन याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद उन्होंने इन शर्तों में एक सत्यापन जोडाः

"हम एतद्द्वारा बताते हैं कि ऊपर बताए गए तथ्य हमारी सर्वाेत्तम जानकारी, जानकारी और विष्वास के अन्सार सत्य हैं।"

और फिर उन्होंने दोबारा हस्ताक्षर किए। ये तीन हस्ताक्षर, उन्होंने जिला न्यायाधीश के समक्ष किए, जिन्होंने उनके हस्ताक्षरों को उसी दिन सत्यापित किया और 18 अप्रैल, 1956 को इस शिकायत को उच्च

न्यायालय में भेजते हुए विद्वान जिला न्यायाधीश ने ये तथ्य बताए और कहाः

"याचिकाकर्ता 16 अप्रैल, 1956 को मेरे सामने उपस्थित हुए। मैंने अपनी उपस्थिति में उनसे याचिका पर हस्ताक्षर करवाए और उसे सत्यापित भी किया।"

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उन्होंने याचिका पर हस्ताक्षर करने, सत्यापन करने और जिला न्यायाधीश के समक्ष एक और पुष्टिकरण के रूप में तीन हस्ताक्षर किए, जिन्होंने इसे सत्यापित किया। विद्वान वकील ने हमारे सामने यह सुझाव नहीं दिया कि जिला न्यायाधीश उन पक्षों की पहचान के बारे में गलत थे जो उनके सामने पेश हुए थे और उनके सामने शिकायत में तीन स्थानों पर हस्ताक्षर किए थे। इन्हीं परिस्थितियों के कारण हमने कहा है कि यह आपित अत्यंत तुच्छ थी। केवल यह जोड़ना आवश्यक है कि यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय धारा 10 (2) के तहत स्वप्रेरणा से इन कार्यवाहियों को शुरू करने में सक्षम है, जो मुद्दा उठाया गया है वह पूरी तरह से तथ्यहीन है।

विद्वान वकील की अगली दलील यह थी कि चूँकि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप मुविक्कल के धन का दुरुपयोग था, इसिलए उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों को शिकायतकर्ताओं पर अपीलकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए छोड़ देना चाहिए था और उसके साथ 10 बार काउंसिल एक्ट की कार्यवाही में आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। इस

दलील के समर्थन में विद्वान वकील ने हमें विशेश रूप से कलकता उच्च न्यायालय के दो फैसलों का हवाला दिया, जो चंडी चरण मित्तर, एक वकील, इन रे ' और एम्परर बनाम सतीश चंद्र सिंघा " में रिपोर्ट किए गए थै।

हम इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि हमारे सामने आया मामला विशय पर निर्णयों की किसी भी विस्तृत समीक्षा या अंततः उन सिद्धांतों को तैयार करने का अवसर प्रदान करता है जो उस न्यायालय द्वारा विवेक के प्रयोग को नियंत्रित करते हैं जिसमें धारा 10 बार काउंसिल अधिनियम के तहत शिकायत की जाती

है। इसके तहत आगे बढ़ें या शिकायतकर्ता को वकील के खिलाफ अभियोजन शुरू करने और ऐसी आपराधिक कार्यवाही के परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ दें।

हम इतना ही बता देना पर्याप्त समझते हैं। पेशेवर कदाचार के संबंध में कार्यवाही का उद्देश्य आपराधिक अदालत में कार्यवाही के उद्देश्य से पूरी तरह से भिन्न होता है। बार काउंसिल अधिनियम और इसी तरह के कानूनों के तहत कार्यवाही यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि बार में पेशेवर आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाए। ये कार्यवाहियाँ, हालांकि एक अर्थ में दंडात्मक हैं, पूरी तरह से अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यास में जारी न रहे जिसने अपने आचरण से दिखाया है कि वह ऐसा करने के लिए अयोग्य है। यह कोई ऐसा क्षेत्राधिकार नहीं है जिसका उपयोग आपराधिक कानून की सहायता के लिए किया जाता है, क्योंकि अदालत के लिए विचार करने योग्य एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या व्यवसायी ने इतना कदाचार किया है कि उसे अब एक सम्मानजनक और जिम्मेदार पेशे के सदस्य के रूप में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी ओर, आपराधिक कार्यवाही का उद्देश्य देश के कानून को लागू करना और अपराधी को सजा दिलाना है। इसमें कोई संदेह नहीं है, यदि शिकायत के विशय के संबंध में आपराधिक म्कदमा श्रू किया जाता है और आरोप साबित हो जाता है तो दोषसिद्धि बार काउंसिल अधिनियम के तहत बाद की कार्यवाही के लिए एक आधार हो सकती है । इसमें भी कोई संदेह नहीं है, इसके अलावा, यदि व्यवसायी को योग्यता के आधार पर आपराधिक अदालत द्वारा बरी कर दिया जाता है या उन्मोचित कर दिया जाता है, तो उन तथ्यों पर पेशेवर कदाचार के आरोप को पूरा करने के उद्देश्य से तथ्यों की दोबारा जांच नहीं की जाएगी। दोनों कार्यवाहियों का उद्देश्य इस प्रकार अलग-अलग होने के कारण, यह कोई कानून का नियम नहीं है, बल्कि प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर विवेक का मामला है कि क्या न्यायालय सीधे पेशेवर कदाचार के आरोप की जांच के लिए आगे बढ़ेगा या इसे शिकायतकर्ता को व्यवसायी पर म्कदमा चलाने और ऐसी कार्यवाही के परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ देगा। अपीलकर्ता के वकील द्वारा यह सुझाव नहीं दिया

गया था कि श्ऐसे मामले में जांच के साथ आगे बढ़ना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए या उससे परे अक्षम है जहां वकील या व्यवसायी के खिलाफ लगाया गया कदाचार सामान्य आपराधिक कानून के तहत अपराध है। दोनों में से कोई भी मामला ऐसे किसी प्रस्ताव पर निर्भर नहीं था और वर्तमान मामले में अपीलकर्ता के लिए बहुत मददगार नहीं है। यह चंडी चरण मित्तर में निर्णय की रिपोर्ट का मुख्य-नोट पर्याप्त है, यह दर्शाता है कि इसका वर्तमान मामले से कोई सादृश्य नहीं है। शीर्षक-नोट का प्रासंगिक भाग कहता है:

"जहां कथित कदाचार का वकील के आचरण से अदालत के साथ उसके व्यावहारिक और तत्काल संबंध में कोई सीधा संबंध नहीं है, वहां आमतौर पर बर्खास्तगी का आदेश देने से पहले आपराधिक कदाचार के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए और सजा दी जानी चाहिए।"

उस मामले में व्यवसायी के खिलाफ आरोप एक ऐसे मामले से संबंधित था जिसका उसके ग्राहकों या अदालत से उसके संबंधों से कोई लेना-देना नहीं था, और उन परिस्थितियों में यह माना गया था कि यदि पेशेवर कदाचार की कार्यवाही शुरू होने से पहले अभियोजन के परिणाम का इंतजार किया जाता है तो निर्देश का उचित रूप से प्रयोग किया जाएगा। यह स्पष्ट है कि हमारे सामने मामला बहुत अलग है। सम्राट बनाम सतीश चंद्र सिंहा ¹ भी इसी तरह का मामला था। व्यवसायी के खिलाफ आरोप

एक मूल वादपत्र में कुछ शब्दों को जोड़कर अदालती रिकॉर्ड में जालसाजी करने का था।

हालाँकि, अब हमारे सामने मौजूद मामले में, जिस कदाचार का आरोप लगाया गया है वह उस कर्तव्य से गहराई से जुड़ा हुआ है और उत्पन्न हुआ है जो वकील की मुविक्कल के प्रति है। कदाचार के बीच यह अंतर उन कर्तव्यों से गहराई से जुड़ा हुआ है जो व्यवसायी को अपने ग्राहकों के प्रति देने होते हैं और ऐसे मामलों में जहां यह वकील के पेशेवर कदाचार की जांच के साथ सीधे आगे बढ़ने या न आगे बढ़ने के न्यायालय के विवेक के प्रयोग से जुड़ा नहीं है। लॉर्ड एबिंगर ने स्टीफ़ंस बनाम हिल्स जो इंग्लैंड में एक वकील के खिलाफ पेशेवर कदाचार का मामला था, कहा:

"यदि वकील अपने आप में अभियोग योग्य किसी चीज़ का दोषी है, लेकिन उस कारण से उत्पन्न नहीं हुआ है (जिसमें वह पेशेवर रूप से लगा हुआ है) तो अदालत उसे रोल से बाहर करने की दृष्टि से जांच नहीं करेगी, बल्कि अंसतुष्ट पक्ष को आपराधिक मुकदमे के उपाय के लिए छोड़ दिया जाएगा।"

इस प्रकार उन मामलों के बीच स्पष्ट अंतर है जहां कदाचार एक व्यवसायी के अपने ग्राहक के प्रति कर्तव्य के संबंध में है और अन्य मामले जहां ऐसा नहीं है। मामलों की पहली श्रेणी में अदालत अपने विवेक का सही ढंग से प्रयोग कर रही होगी यदि वह शिकायतकर्ता को आपराधिक अदालत में अपना उपचार लेने के लिए मजबूर किए बिना पेशेवर कदाचार के रूप में आरोप से निपटने के लिए आगे बढ़ती है। जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का सवाल है, अपीलकर्ता को एक मुक़दमें की कार्यवाही के दौरान अपने मुवक्किल के पैसे उसके हाथों में मिले, जिसमें वह शामिल था और उसके खिलाफ आरोप यह था कि वह पैसे चुकाने में विफल रहा। इन परिस्थितियों में हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा धारा 10 बार काउंसिल अधिनियम के प्रावधान के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करना पूरी तरह से उचित था।

विद्वान वकील की अगली शिकायत यह थी कि जिस तरीके से अपीलकर्ता के खिलाफ मामला चलाया गया उसमें प्रक्रियात्मक अनियमितता थी। ऐसा कहा गया था कि इसमें यह तथ्य शामिल था कि अपीलकर्ता द्वारा स्वयं की साक्ष्य के बाद शिकायतकर्ताओं को (हमारे सामने उत्तरदाताओं) की ओर से कुछ साक्ष्य पेश करने की अनुमित दी गई थी और यह आग्रह किया गया था कि इसके द्वारा शिकायतकर्ताओं को उनके मामले की कमी भरने का अवसर दिया गया था। हम मानते हैं कि इस आपित में कोई दम नहीं है। इस बात की कोई शिकायत, जिस क्रम में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, उस मामले में जिस तरह से जांच की गई थी, उससे अपीलकर्ता पर कोई पूर्वाग्रह था, तो जिला न्यायाधीश के समक्ष, जिसने जांच की थी या उच्च न्यायालय के समक्ष, जब जिला न्यायाधीश

की रिपोर्ट पर विचार किया गया, नहीं की गई थी। हमने स्वयं रिकॉर्ड की जांच की है और पाया है कि इस सुझाव का कोई आधार नहीं है कि जिस क्रम में गवाहों की जांच की गई थी, उसके कारण कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ था।

तब यह स्झाव दिया गया था कि वादी में से एक - कग्गा वीरैया -ने खुद जिला न्यायाधीश के समक्ष अपने साक्ष्य में स्वीकार किया था कि उसे और अन्य को उस चेक की आय प्राप्त हुई थी जिसे अपीलकर्ता ने भ्नाया था और इस स्वीकारोक्ति के सामने विद्वान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यह निष्कर्ष निकालने में स्पष्ट रूप से गलत थे कि अपीलकर्ता अपने ग्राहकों को पैसे का भुगतान करने में विफल रहा था। इस विवाद और इसके उत्तर का मूल्यांकन करने के लिए कुछ तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है। जैसा कि पहले कहा गया है, मुकदमे 1951 का ओएस 432 में चार वादी थे - और वादी 1 से 3 तक शिकायतकर्ता हैं--अब 1 से 3 तक उत्तरदाता हमारे सामने हैं। चौथा वादी कग्गा वीरैया था। अपीलकर्ता का मामला यह था कि यह पैसा, सभी चार वादी को भ्गतान किया गया था यानी, वादी को तब भ्गतान किया गया था जब वे चारों उपस्थित थे। शिकायतकर्ताओं का मामला था कि कग्गा वीरैया - चौथे वादी की 1957 में मृत्यु हो गई। इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि कग्गा वीरैया जीवित था और कग्गा वीरैया होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के सामने पेश किया गया जिसने उसकी अदालत के

गवाह नंबर 7 के रूप में साक्ष्य ली। जिस व्यक्ति से पूछताछ की गई, उसने गवाही दी कि वादी को उसकी उपस्थिति में पैसे का भ्गतान किया गया था और इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर उस बयान को अभिसाक्षी की पहचान के साथ स्वीकार कर लिया गया होता तो अपीलकर्ता का बचाव पूरा हो जाता। हालाँकि, शिकायतकर्ताओं का मामला यह था कि अदालत के गवाह नंबर 7 के रूप में जिस व्यक्ति से पूछताछ की गई, वह एक प्रतिरूपणकर्ता था। असली कग्गा वीरैया के मृत्य प्रमाण पत्र का एक अंश मृत्यु साबित करने के लिए शिकायतकर्ताओं द्वारा अदालत में पेश किया गया था। अदालत के गवाह नंबर 7 का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया था कि एक अन्य कार्यवाही (1955 का ओ. एस. 732) में, जिसमें करगा वीरैया एक पक्ष था, अदालत में एक ज्ञापन दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि वह मर च्का है। इस पर गवाह का स्पष्टीकरण यह था कि चूंकि वह उपलब्ध नहीं था इसलिए इस आशय का ज्ञापन दाखिल किया गया था। गवाह से उसकी पहचान के बारे में कड़ी पूछताछ की गई और विशेश रूप से, पार्टियों के विवरण और 1951 के ओएस 432 की विशय-वस्तु के बारे में अन्य विवरणों के बारे में पूछताछ की गई और कम से कम यह कहा जा सकता है कि उसके उत्तर सबसे असंतोशजनक थे। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने इन सभी साक्ष्यों पर विचार किया और दो वैकल्पिक निष्कर्ष दर्ज किएः (1) कि जिस व्यक्ति की सीडब्ल्यू 7 के रूप में जांच की गई, वह कग्गा वीरैया नहीं था,

बल्कि एक बह्रूपिया था, जो संभावनाओं के अनुरूप प्रतीत होता था, और (2) भले ही सीडब्ल्यू 7 करगा वीरैया हो, जैसा कि दावा किया था, वे उसके साक्ष्य को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उसके बयान में रती भर भी सच्चाई नहीं थी और वे निःसंकोच इसे अस्वीकार कर देंगे। हालाँकि, विद्वान वकील की दलील यह थी कि उच्च न्यायालय के समक्ष इस गवाह के अंगूठे का निशान जिला न्यायाधीश के समक्ष सीडब्ल्यू 7 के रूप में उसके बयान के लिए था और 1951 के ओएस 432 में चौथे वादी के अंगूठे का निशान था और इसकी त्लना करने पर इन दोनों में से अदालत को सीडब्ल्यू 7 की पहचान करगा वीरैया - चौथे वादी के रूप में स्वीकार करनी चाहिए थी। वास्तव में इस मामले या इससे संबंधित साक्ष्यों के विवरण को आगे बढ़ाना आवश्यक नहीं है क्योंकि क्या कग्गा वीरैया मर गया था और यदि वह नहीं मरा था, तो क्या सीडब्ल्यू 7 कग्गा वीरैया था प्रश्न के अलावा इस गवाह के बयान की विष्वसनीयता की उच्च न्यायालय के विदवान न्यायाधीशों दवारा सराहना में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। इस गवाह ने जो स्वीकारोक्ति की और म्कदमे की कार्यवाही के बारे में उसने जो अज्ञानता प्रदर्शित की, उसने उस पर असत्य के गवाह के रूप में मुहर लगा दी और विद्वान न्यायाधीशों ने सही ढंग से उसके साक्ष्य को "यहां तक कि थोड़ी सी भी सच्चाई" से रहित बताया । इसलिए अपीलकर्ता इस गवाह की ओर से किसी भी स्वीकारोक्ति पर वादी को वह

राशि प्राप्त करने के साक्ष्य के रूप में भरोसा नहीं कर सकता है जो उसके हाथ में थी।

अंत में, यह आग्रह किया गया कि अपीलकर्ता को पांच साल की अवधि के लिए निलंबित करने का निर्देश देने वाला आदेश बह्त गंभीर था और हमें इस आधार पर भी निलंबन की अवधि कम करनी चाहिए कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप स्थापित माना जाए। हम केवल इस बात पर आश्चर्य व्यक्त कर सकते हैं कि वकील को यह बात कहने का साहस करना चाहिए था। अपीलकर्ता के हाथ में उसके मुवक्किलों की काफी धनराशि आ गई थी और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के अनुसार, मांगे जाने पर वह इसे वापस करने में विफल रहा था। इससे संत्ष्ट न होकर उसने भुगतान का झूठा बचाव पेश किया था और यहां तक कि गवाहों को ब्लाकर अपने बचाव को कायम रखने की भी मांग की थी। इन परिस्थितियों में, भले ही उच्च न्यायालय के विदवान न्यायाधीशों ने अपीलकर्ता का नाम अधिवक्ताओं की सूची से हटा दिया होता, हम अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते ह्ए इसे उचित सजा मानते। इसलिए अब अपील के तहत दिया गया आदेश उदारता के पक्ष में है, लेकिन इसमें गलती है और अपीलकर्ता की ओर से किए गए अनुरोध का कोई औचित्य नहीं है।अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक प्रतीक दाधीच (न्यायिक अधिकारी)द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः-यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगेे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

- i (1920) ILR 47 Cal.
- ii (1927) ILR 54 Cal.
- iii (1920) ILR 47 Cal.
- iv (1927) ILR 54 Cal.
- v (1942) 10 M. & W, 28-512 E,R, 868.